प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/MAA/53/2016–17/8587-75 दिनांक 22/12/2016

विषय–"माँ"–माँ का पूरा प्यार ("MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 48/1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** और बाल मृत्युदर 57/1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** है। जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्तनपान बच्चों के जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान कराने से 20 प्रतिशत नवजात शिशुओ की मृत्यु को रोका जा सकता है। जो बच्चे 6 माह तक केवल स्तनपान करते हैं उनमें दस्त रोग से मृत्यु की सम्भावना 11 गुना कम तथा निमोनिया से मृत्यु की सम्भावना 15 गुना कम हो जाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के यह प्रमुख कारण है।

प्रदेश में हुए **RSOC-2014** सर्वे के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साहजनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 22.5%
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 62.5%

स्तनपान जल्दी शुरूआत करने से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम होती है। स्तनपान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को केन्द्रीत करते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 05 अगस्त 2016 से एक सघन अभियान "माँ" कार्यक्रम लागू किया है।

"माँ" अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्तनपान का समर्थन, सम्वर्धन तथा संरक्षण किया जाना है। यह समुदाय तथा समस्त चिकित्सा इकाईयों में संचालित किया जायेगा।

इस अभियान की मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य एवं गतिविधियाँ निम्नवत हैं –

क– जनसंचार माध्यमों से जागरूकता फैलाना।

ख– स्तनपान हेतु उचित वातावरण का निर्माण करने के लिये जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम जिसके लक्ष्य होंगे– गर्भवती एंव धात्री मांताओं एवं परिवार के सदस्यों तथा समुदाय को स्तनपान की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये। स्तनपान शिशु के जीवन को बचाने एवं उसके विकास के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय समझा जाय।

ग– आशा बहुओं को स्तनपान विषय पर के उन्मुख करना तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं की बैठक कर समुदाय के लोगो से बातचीत करना।

घ– स्तनपान सहायक सेवाओं में जिम्मेदारी बढ़ाना तथा ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स/मेडिकल आफीसर की क्षमता बढ़ाना। यह कार्य सभी चिकित्सा इकाईयों तथा प्रसव इकाईयों में संचालित होगा।

ड़– उन चिकित्सालयों की पहचान जहां पर स्तनपान की दर सर्वाधिक हो तथा सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) की पहचान कर पुरस्कृत करना।

प्रशिक्षण "माँ" अभियान हेतु आई0वाई0सी0एफ0 के निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये गये है।

- एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
- चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों एवं ए0एन0एम0 हेतु।

आई0ई0सी0 गतिविधि–

1. आई0ई0सी0 की सामग्री जैसे पोस्टर बस के पैनलो हेतु पोस्टर, सड़क पर लगने वाले पोस्टर, टी0वी0 के लिये विज्ञापन जैसे "अम्मॉ जी कहती है" और रेडियों के लिये भी सामग्री विकसित कर ली गयी है और इसे nrhm.gov.in पर अपलोड किया गया है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. स्तनपान के उच्च दर को प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि परिवार में तथा चिकित्सा इकाईयों पर माँ को स्तपान करने में मदद दी जाये। इसके अलावा माँ को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये और उसके अन्दर जागरूकता भी पैदा होनी चाहिये। इन प्रयत्नों से आगे चलकर देश में स्तनपान की दर को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

माँ कार्यक्रम का लक्ष्य स्तनपान के सम्वर्धन, समर्थन एवं सहयोग हेतु प्रयत्नों को पुर्नजीवित करना है। यह काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होगा ताकि स्तनपान की उच्च दर को प्राप्त किया जा सके।

बी0– "माँ"–माँ का पूरा प्यार कार्यक्रम के अंग–

इस कार्यक्रम को 3 स्तरों पर लागू किया जायेगा। वृहद स्तर का कार्यक्रम जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा होगा। मध्यम स्तर का कार्यक्रम स्वास्थ्य केन्द्रो पर तथा तीसरे स्तर का कार्यक्रम समुदायों मे होगा। जिसका विवरण निम्नवत् है।

बी0–1 उचित माहौल का निर्माण एवं जरूरत पैदा करना, संचार माध्यमों के द्वारा जन जागरूकता पैदा करना।

बी–2 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों में स्तनपान करवाने हेतु क्षमता वृद्धि करना, आशा आंगनबाड़ी तथा ए0एन0एम0 के द्वारा सामुदायिक स्तर पर कार्य करना एवं आशाओं के द्वारा मांताओं की बैठक कर समुदाय से वार्तालाप एंव प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा उपकेन्द्रों एवं वी0एच0एन0डी पर स्तनपान में मद्द एवं बातचीत द्वारा समस्याओं का स्वास्थ्य केन्द्रो पर समाधान एवं सशक्तिकरण।

बी–3 स्तनपान में मद्द करने हेतु ए0एन0एम0/नर्स/डाक्टर में क्षमतावृद्धि करना (स्वास्थ्य केन्द्रों पर) ताकि प्रसव इकाईयों पर स्तनपान को समुचित बढ़ावा दिया जा सके।

बी0–4 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा पुरस्कार वितरण

बी–1 उचित माहौल का निर्माण एवं जरूरत पैदा करना (जनसंचार माध्यमों द्वारा)–

यह आवश्यक है कि समाज स्तनपान की जरूरत को गम्भीरता से महसूस करें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रो तथा सामुदायिक स्तर पर जो क्षमता पैदा की जा रही है उसका उपयोग हो सकेगा।

स्तनपान का संदेश जन–जन तक पहुचें इसके लिये एक जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा (आडियो विजुअल/प्रिन्ट मिडिया/इलेक्ट्रानिक मिडिया) राज्य, जिला, तथा ब्लाक स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर जनसंचार माध्यमो की भूमिका ज्यादा होगी। जबकि जिला और ब्लाक स्तर पर सामुदायिक गतिविधियॉ की भूमिका अधिक होगी।

इन कार्यक्रमों मे स्तनपान के लाभों की जानकारी दी जायेगी जैसे दस्तरोग, निमोनियॉ कम होना, चिकित्सालय में भर्ती तथा मृत्यु दर में कमी, बुद्धि में वृद्धि, भविष्य में हृदय रोग तथा मधुमेह रोग तथा कैन्सर में कमी इत्यादि। कार्यक्रम अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकें इसके लिये बातचीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर देना है जैसे स्तनपान जल्दी शुरू करना, स्तनपान शुरू करने के पहले घुट्टी, शहद, पानी नही देना। दूध पूरा नही होता है इस भ्रम को तोड़ना, धात्री मांताओं को भावनात्मक एवं सम्पूर्ण सहयोग देना, पति सास एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेना, स्तनपान में परेशानी होने पर चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें कामकाजी महिलाये स्तनपान कैसे करायें, डिब्बे के दूध के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाये।

जनपद तथा ब्लाक स्तर पर इन कार्यक्रमों के मुख्य अंग–

- **बी0–1.1 जनसंचार माध्यमों के कार्यक्रम**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रचार प्रसार के लिये सुनने एवं देखने हेतु (आडियो विजुअल मैटिरियल) सामग्री तैयार की है कार्यक्रम दूरदर्शन आल इण्डिया रेडियो पर प्रसारित होंगें। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जायेंगे। जो तय अन्तराल पर होंगे। एस0एम0एस0 तथा वायस मैसेजेज एम0सी0टी0एस0 तथा किलकारी के माध्यम से भेजे जायेंगे।

विभिन्न प्रकार की आई0ई0सी0 सामग्री राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गयी है। जिसका उपयोग जनपद स्तर पर किया जा सकता है।

टी0वी0 के विज्ञापन	रेडियो के विज्ञापन	छपे हुये सन्देश
1–वादा – 60 सेकेण्ड 2–बड़ा भाई, 60 सेकेण्ड 3–खजाने की खोज, 60 सेकेण्ड 4–माँ सब जानती है, 60 सेकेण्ड	1–वादा, 30 सेकेण्ड 2–बड़ा भाई, 30 सेकेण्ड 3–खजाने की खोज, 30 सेकेण्ड	1–होर्डिंग पोस्टर, बस के पैनल 2–स्वास्थ्य केन्द्रो तथा बाह्य क्षेत्रो के लिये पोस्टर 3–गांवों में दिवारों पर पेटिंग 4–आशा हेतु जानकारी सामग्री 5–ए0एन0एम0 हेतु काउन्सिलिंग का फिलिप चार्ट

राज्य स्तर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ 25 अगस्त 2016 को किया जा चुका है। अधिक प्रचार प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, माल में होर्डिंग लगाई जा सकती है।

- **बी–1.2 मध्य स्तर के जन संचार कार्यक्रम–**

गीत एंव नाट्य विभाग के कार्यक्रम, लोक कलाओं के कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के कार्यक्रम, विडियों वाहन का उपयोग माँ कार्यक्रम हेतु मेले एवं प्रदर्शिनी लगाना ताकि स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जा सके।

- **बी–1.3 सामुदायिक भागीदारी एवं विभिन्न विभागों से समन्वय –**

"माँ" कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रम किये जायें।

1. निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं। इसलिये आई0एम0ए0, आई0ए0पी0, एफ0ओ0जी0एस0आई0 (फाग्सी) जैसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर स्तनपान को बढ़ावा दें।
2. अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज, शिक्षा विभाग एवं शहरी विकास विभाग से सहयोग प्राप्त कर गर्भवती एवं धात्री मांताओं तक पहुँचा जा सके।
3. समस्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जाये।
4. जन सभायें/वर्कशाप का आयोजन जनपद एवं ब्लाक स्तर पर किया जाये इसमें स्थानीय नेताओं, कलाकारो, समाज सुधारकों, धार्मिक नेताओं, ए0एन0एम0, स्कूल, नर्सिंग स्कूल, पंचायत के नेता तथा शिक्षकों को आमंत्रित करें।

नोट– इन कार्यक्रमों में उन लोगों/संस्थाओं से सहयोग न लिया जाय जिनका आई0एम0एस0 एक्ट में प्रतिबन्धित किया गया है। आई0एम0एस0 एक्ट का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण मार्डयूल में कराया जायेगा।

2– बी0–2 सामुदायिक स्तर पर गतिविधियाँ –

- आशा बहुओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/ए0एन0एम0 आपस में बातचीत तथा मांताओं की बैठकों द्वारा समुदाय से सम्वाद हेतु अभिमुखीकरण किया जाये।
- **प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा उचित देखभाल उपकेन्द्रों के माध्यम से–** सामुदायिक स्तर पर होने वाली गतिविधियाँ स्तनपान के सम्वर्धन तथा सलाह देने के लिये महत्वपूर्ण है। इसमें न सिर्फ माँ को समझाने का मौका मिलता है बल्कि स्तनपान के सम्बन्ध में परिवार के सदस्यों जैसे, सास, पति एंव परिवार के अन्य सदस्यों जागरूक होने का मौका मिलता है। इससे हमें जनसमुदाय के स्तर पर स्तनपान की सही स्थिति तथा सही जानकारी देने का मौका मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों से माँ को स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये उचित सहयोग प्राप्त होता है। फील्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा स्तनपान हेतु माँ को प्रथम मुलाकात में ही सही जानकारी दी जाये। साथ ही जिन्हे स्तनपान में सहयोग/संदर्भन की आवश्यकता होती है उन्हे उचित सलाह दी जाये। जिन मांताओं की चिकित्सालय से छुट्टी होती है उन्हे चिकित्सक/स्टाफ नर्स द्वारा दी गयी उचित सलाह ग्रहण करने हेतु सुनिश्चित किया जाये।
- इस कार्यक्रम में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज को स्तनपान और नवजात शिशु एंव छोटे बच्चों के पोषण के बारे में जागरूक करें। आशा सामुदायिक स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देगी और साथ–साथ इस लायक भी होगी की उन माताओं को प्रशिक्षित ए0एन0एम0 के पास संदर्भित कर सके जिन्हे मदद चाहिये। आशा इन माताओं को अतिपूरित (Congested) स्तन तथा धसे हुये निप्पल को ठीक करने की सलाह दे सकती है। इससे माँ की तकलीफ का लाभप्रद समय भी बचेगा तथा जिन मरीजों को अतिरिक्त मद्द की आवश्यकता है उन्हे वह चिकित्सा इकाईयों पर चिकित्सक/ए0एन0एम0 के पास संदर्भित करें।
- स्तनपान प्रबन्धन एवं समर्थन के लिये सभी ए0एन0एम0 को जो उपकेन्द्रों पर काम कर रही है उन्हे क्रमशः पूरे वर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा यह प्रशिक्षित ए0एन0एम0 समुदाय में जानकारी की प्रमुख श्रोत होंगी। यह प्रशिक्षित ए0एन0एम0 संदर्भित किये गये समस्त माताओं का इलाज करेंगी जैसे अतिपूरित स्तन, दूध न आना, धसे हुये निप्पल, स्तन में फोड़ा होना, दूध कम होना इत्यादि। यह कार्य उपकेन्द्रो पर तथा वी0एच0एन0डी0 के दिन होगा। वी0एच0एन0डी0 एनं उपकेन्दों पर टीकाकरण के दौरान वह स्तनपान के बारे में सलाह सलाह देगी।
- **समुदाय स्तर पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां लागू की जायेंगी –**

* **बी–2.1** आशा का एक दिवसीय अभिमुखीकरण किया जायेगा ताकि समुदाय में स्तनपान विषय पर प्रथम जानकारी प्रदान कर सके। आशा को स्तनपान के फायदों की जानकारी दी जायेगी और आदर्श तरीके क्या है यह भी संक्षेप में बताया जायेगा। स्तनपान के सम्वर्धन में उनकी भूमिका की जानकारी तथा रेफर किये जाने वाले केसो के बारे मे भी बताया जायेगा। यह एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम मासिक समीक्षा बैठक के दौरान ब्लाक स्तर पर होगा। माडयूल 6 एवं 7 के उपयोगी हिस्सों को इस दिन पढाया जायेगा। अभिमुखीकरण हेतु एक दिवसीय माडयूल का भी उपयोग किया जा सकता है। इस पढ़ायी के दौरान स्तनपान एवं सम्पूरक आहार के मूलभूत बातों की जानकारी दी जायेगी ताकि फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता परिवार तथा समुदाय को सही और पूरी जानकारी दे सकें। अगर कोई भ्रम या गलत फहमी है तो उसे भी दूर कर सकें। गृह भ्रमण के दौरान नवजात को स्तनपान कराने में उनकी भूमिका की जानकारी दी जायेगी। मांताओं को स्तन की विभिन्न स्थितियों और उनके देखभाल के बारें में भी पढ़ाया जायेगा।
* **बी– 2.2** आशा द्वारा स्तनपान के सम्वर्धन, संरक्षण, सहयोग एवं प्रबन्धन तथा सम्पूरक आहार के बारे में जानकारी देने के लिये मातृ सम्मेलन का आयोजनः– सामुदायिक स्तर पर आशा इन सम्मेलनों में स्तनपान की जानकारी देंगी और लोगो से बातचीत करेंगी।
  1. आशा अपने गांव के समस्त गर्भवती एवं धात्री माताओं की बैठकें करेंगी जिसमें वह सफल स्तनपान के तरीकों और उससे होने वाले फायदों पर पारस्परिक सम्वाद करेंगी। इसका लक्ष्य होगा समाज को स्तनपान की तरफ मोड़ना और शुरूआती सलाह देना है।
  2. **<u>संलग्नक–1</u> में बताये जाने वाली बातो की सूंची दी गयी है। आशा "माँ" अभियान द्वारा विकसित जानकारी किट तथा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगी।**
  3. आशा अपने क्षेत्र की समस्त गर्भवती एवं धात्री को सूचीवद्ध करेगी। एक सामान्य गांव में लगभग 40 से 50 योग्य माताएं उपलब्ध रहेगी। एक आदर्श मातृ सम्मेलन में 5–8 माताएं होंगी एवं एक माह में 3 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 8 से 10 मीटिंग होंगी। इन तीन महीनों में आशा को हर एक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुचना है।
  4. आशा वित्तीय वर्ष के हर तिमाही में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी।
  5. आशा को 100 रूपये प्रतिपूर्ति राशि त्रैमासिक आधार पर इन बैठकों के लिये दी जायेगी।
  6. जिन स्थानों में मातृ सहायता समूह गठित हैं तो इस मंच का इस्तेमाल मातृ सम्मेलनों के लिये किया जा सकता है।

बी0 2.3 आशा द्वारा स्तनपान की सामान्य गतिविधियों का सुदृढीकरण –

* ऊपर बताये गये अभिविन्यास कार्यक्रम के बाद आशा स्तनपान के विषय में अपनी नियमित गतिविधियों को समान्य गृह भ्रमण के दौरान जैसे कि होमबेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम (एचबी0एन0सी0), कम वजन के शिशुओं एवं एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुये शिशुओं के फालोअप के दौरान बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगी।
* **बी0–2.4** माँ अभियान के शुभारम्भ के बाद सभी उपकेन्द्रो के ए0एन0एम0 एक दिवसीय अभिमुखीकरण माड्यूल द्वारा किया जायेगा। इसके बाद उन्हे चरणवद्ध रूप से 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण माडयूल भी पढ़ाया जायेगा। राज्य इसके लिये एक प्रशिक्षण की योजना बनायेंगे ताकि समस्त उपकेन्दों पर 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण हो जाये।
* ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला स्तर पर किया जायेगा (प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी/प्रशिक्षित बाल रोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित स्टाफ नर्स मास्टर ट्रेनर बन सकते है।) ए0एन0एम0 को आई0वाई0सी0एफ0 परामर्श "माँ" अभियान का फ्लो चार्ट भी दिया जायेगा।
* **बी0–2.5** प्रशिक्षित ए0एन0एम0 उपकेन्दों एवं वी0एच0एन0डी0 के दौरान स्तनपान एवं आई0वाई0सी0एफ0 प्रबन्धन सेवायें प्रदान करेगी तथा संदर्भित बच्चों का निवारण करेगी। इसके लिये दिये गये आई0वाई0सी0एफ0 परामर्श "माँ" फिलप चार्ट का प्रयोग भी करेंगी।

<u>3– बी–3, स्वास्थ्य कर्मियों में क्षमतावृद्धि करना–</u>

* समस्त प्रसव इकाईयों पर चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 में क्षमतावृद्धि करना।
* स्तनपान समर्थन सेवाओं में उनकी भूमिका का सुदृढ़ीकरण –

यह एक ज्ञात तथ्य है कि अस्पतालों में प्रसव के बाद वहां उपलब्ध सेवायें, जिनमें स्तनपान को शुरू करने में तथा सफल बनाये रखने में मद्द मिलती है वहीं आगे चलकर के छुट्टी के बाद स्तनपान की उच्च दर को बनाये रखते है। जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान अगर शुरू हो जाता है तथा छुट्टी के पहले माँ को उचित सलाह मिल जाती है और हर बार चिकित्सालय आने पर (टीकाकरण के दौरान) बार–बार सलाह

मिलती रहती है तो 6 माह तक केवल स्तनपान की उच्च दर प्राप्त की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सलाह की आवश्यकता होती है वे है स्तन पर सही लगाव, कितनी बार पिलाना है, परिवार द्वारा भावनात्मक सहयोग, आत्मविश्वास, जरूरत के हिसाब से स्तनपान, रात्रि में स्तनपान। दूध पर्याप्त नहीं है के भ्रम को मिटाना तथा विशेष परिस्थितियां, जैसे की काम काजी महिलाओं को सलाह, स्वास्थ्य इकाईयों पर नवजात शिशुओं के साथ माँ की हर मुलाकात के दौरान स्तनपान/आई0वाई0सी0एफ0 सलाह दिया जाना सुनिश्चित किया जाना।

- अभियान के अन्तर्गत केन्द्रो पर निम्नलिखित गतिविधियॉ लागू की जायेंगी

बी0–3.1 स्तनपान पर एक दिवसीय "माँ" अभिविन्यास कार्यक्रम में जिम्मेदारियों एवं भूमिकाओं का सुदृढ़ीकरण–

1. "माँ" कार्यक्रम के शुरू होने के बाद एक दिवसीय अभिमुखीकरण करने के साथ अभिमुखीकरण और स्तनपान को बढ़ावा देने में कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आंकलन किया जायेगा तथा इस एक दिसवीय अभिमुखीकरण का लक्ष्य होगा कि कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त में जानकारी देकर माँ की मदद करने के योग्य बनाया जाये। जब तक उनकी चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण नहीं हो जाता। यह प्रसव इकाई में तैनात चिकित्सा अधिकारी/आर0एम0एन0सी0एच0–परामर्शदाता एवं स्टाफ नर्स और उपकेन्द्रो पर तैनात ए0एन0एम0 को दिया जायेगा इनके द्वारा स्तनपान सहयोग को भी रेखांकित किया जायेगा। यह बैठकें जिला और ब्लाक स्तर पर होगी। कार्यकर्ताओं के आई0वाई0सी0एफ0 सम्बन्धी कार्य एवं जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से <u>संलग्नक –2</u> पर अंकित है।
2. स्वास्थ्य इकाईयों पर स्तनपान को संरक्षण देने में आई0एम0एस0 एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक दिवसीय अभिमुखीकरण में सम्मिलित किया जाये।
3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को चयनित किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर आवश्यक मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है इस दिवस पर स्तनपान की सलाह देने पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाये।
4. माँ के प्रसव के समय घर का एक सदस्य स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद होना चाहिये ताकि वह स्तनपान जल्दी शुरू कराने में मदद कर सके इससे परिवार की स्तनपान को बढ़ाने में जिम्मेदारी बढ़ेगी।

<u>बी0–3.2 ए0एन0एम0/नर्सों में क्षमतावृद्धि करना और मास्टर ट्रेनर तैयार करना–</u>

जनपद स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को चिहिन्त कर उनके द्वारा मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स, और ए0एन0एम0 को चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 की प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

पूर्व से चरणवद्ध रूप से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग/एस0पी0एम0 विभागों में मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स एवं आर0एम0एन0सी0एच0–परामर्शदाता को चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिन स्वास्थ केन्द्रों पर मरीजों की संख्या अधिक रहती है। उन्हे इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी। ए0एन0एम0/स्टाफ नर्सों की चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिये एक कार्य योजना तैयार की जायेगी।

माँ अभियान के लिये समर्पित प्रशिक्षण माडयूल जैसे कि एक दिवसीय अभिमुखीकरण का माडयूल, 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 का माडयूल जो ए0एन0एम0 तथा स्टाफ नर्सों के लिये और प्रशिक्षकों के गाईड हेतु विकसित किये गये हैं।

एक दिवसीय माडयूल का उपयोग अभिमुखीकरण हेतु किया जायेगा। 4 दिवसीय माडयूल एक समेकित माड्यूल है जिसमें स्तनपान के सभी पहलू, सम्पूरक आहार, सलाह देना, वृद्धि की निगरानी और विशेष परिस्थितियों में स्तनपान को सम्मिलित किया गया है।

बी0–3.3 केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण –

<u>ए–</u> समस्त प्रसव इकाईयों पर आई0ई0सी0 सामग्री मुद्रित कराकर ए0एन0सी0 वार्ड/प्रसव वार्ड और ए0एन0सी0 क्लीनिक में लगाये जायेंगे। पी0एन0सी0 वार्डो में इसे दिखाने के लिये आडियो विजुअल माध्यम का उपयोग किया जायेगा। तथा सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) के 10 चरण का भी पोस्टर लगाया जायेगा।

बी0–3.4 स्तनपान कक्ष –

सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर एक स्तनपान कक्ष/ स्थान (कार्नर) बनाया जायेगा जहां परामर्श के लिये आने वाली मांतायें शान्ति से स्तनपान करा सकेंगी इससे स्तनपान को बढ़ावा मिलेगा और प्रचार प्रसार भी होगा।

<u>बी–4 पुरस्कार –</u>

<u>सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) की पहचान –</u>

स्वास्थ्य इकाई के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को बल देने के लिये उन्हे पहचानने और उनका सम्मान करने के लिये पुरस्कार दिया जायेगा यह कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

बी'–4.1 केन्द्रों के लिये पुरस्कार– जो केन्द्र निर्धारित मानकों के आधार पर स्तनपान का सम्वर्धन संरक्षण और समर्थन करेंगे उन्हे राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा यह कार्य नियमों के आधार पर निगरानी कार्यकर्ताओं द्वारा होगा यह पुरस्कार विश्वास बढ़ायेगा और आगे कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा।

बी–4.2 पुरस्कार के बारे में –

1. चुने गये केन्द्र को मॉ–मॉ का पूरा प्यार पुरस्कार मिलेगा।
2. प्रत्येक जनपद में केवल एक पुरस्कार सर्वोत्तम केन्द्र को मिलेगा।
3. यह पुरस्कार रू0 10000.00 का होगा जो पूरी टीम को समान रूप से वितरित किया जायेगा, (चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0)
4. मान्यता प्राप्त निगरानीकर्ताओं के द्वारा प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार उन्हीं को दिया जायेगा जो इकाई निर्धारित मानकों को पूर्ण करेगी।

बी–4.3– पुरस्कार के लिये मानदण्ड (मानक) –

निम्नलिखित 10 मानदण्ड (मानक) को 6 माह तक लागू करने के बाद पुरस्कार मिल सकेगा।

1. स्तनपान/आई0वाई0सी0एफ0 योजना (भारत सरकार की आई0वाई0सी0एफ0 गाईड लाइन के अनुसार) हो जिसकी समस्त चिकित्साकर्मियों को नियमित तौर पर जानकारी दी जाये।
2. समस्त कर्मियों को इस नीति को लागू करने के लिये प्रशिक्षित किया जाये।
3. समस्त गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लाभ एवं प्रबन्धन की जानकारी दी जाये।
4. समस्त माताओं को जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान शुरू कराने में मदद की जाये।
5. समस्त माताओं को स्तनपान कराना सिखायें उन्हे यह भी बतायें की अगर बच्चे से कभी अलग होना पड़े तब दूध के प्रवाह को कैसे बनाये रखें।
6. किसी नवजात को स्तन के दूध के अलावा कोई भी पेय पदार्थ न दे जब तक कि चिकित्सक की सलाह न हो।
7. मॉ और शिशु को 24 घण्टे एक साथ रखें।
8. आवश्यकता के हिसाब से स्तनपान करायें ।
9. स्तनपान करने वाले बच्चों को चुसनी न दें।
10. चिकित्सालय से छुट्टी के बाद माँ को अपने क्षेत्र की प्रशिक्षित ए0एन0एम0 से सम्पर्क कराया जाना।

बी0–4.4

चिकित्सा इकाई का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद में त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा इस कार्य में राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रशिक्षित मानव संसाधन के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा का राज्य/जनपद स्तर पर एक समूह तैयार किया जायेगा। तथा जनपद स्तर पर जिला क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का भी सहयोग लिया जाये तथा यह समूह समय समय पर त्रैमासिक आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा।

बी0–4.5 लक्ष्य –

यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सारे अधिक प्रसव वाली स्वास्थ्य इकाईयों को पुरस्कृत किये जाने के अनुरूप विकसित कर लिया जाये।

वित्त पोषण–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में दिये गये निदेशों के क्रम में MAA" (Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

MAA (Mother Absolute Affection) Programme							
S. N.	Name of District	No. of ASHA	ASHA incentive @ Rs. 100/ASHA for 2 Qtr. mother's meeting	IEC activity (Audio visual, includes,print ing of ASHA infokit,ANM flipchart)	One day orentation of ANM/Staff Nurses/ doctor of Delivery point and Sub Centre at and District and block level meeting. This include cost for printing of sensitization module,arranging training @ 50000/district	Monitoring & Award/ Recognition budgets for Rs. 10000/- district for one facility	Total Fund released to DHS
FMR Code			B.1.1.3.2	B.10.3.2.2	A.2.4	A.2.12.2	
Tally Code			B.1.1.3.2.j	B.10.3.2.2.c	A.2.4.a	A.2.12.2.c	
1	Agra	2806	561200	50000	50000	10000	671200
2	Aligarh	2850	570000	50000	50000	10000	680000

3	Allahabad	4371	874200	50000	50000	10000	984200
4	Ambedkar Nagar	2372	474400	50000	50000	10000	584400
5	Amethi	2250	450000	50000	50000	10000	560000
6	Amroha (JP Nagar)	1419	283800	50000	50000	10000	393800
7	Auraiya	1266	253200	50000	50000	10000	363200
8	Azamgarh	4220	844000	50000	50000	10000	954000
9	Baghpat	1028	205600	50000	50000	10000	315600
10	Bahraich	3191	638200	50000	50000	10000	748200
11	Ballia	2919	583800	50000	50000	10000	693800
12	Balrampur	1979	395800	50000	50000	10000	505800
13	Banda	1523	304600	50000	50000	10000	414600
14	Barabanki	3258	651600	50000	50000	10000	761600
15	Bareilly	2903	580600	50000	50000	10000	690600
16	Basti	2323	464600	50000	50000	10000	574600
17	Bijnor	3070	614000	50000	50000	10000	724000
18	Budaun	2563	512600	50000	50000	10000	622600
19	Bulandshahar	2291	458200	50000	50000	10000	568200
20	Chandauli	1953	390600	50000	50000	10000	500600
21	Chitrakoot	852	170400	50000	50000	10000	280400
22	Deoria	2930	586000	50000	50000	10000	696000
23	Etah	1492	298400	50000	50000	10000	408400
24	Etawah	1372	274400	50000	50000	10000	384400
25	Faizabad	2556	511200	50000	50000	10000	621200
26	Farukkhabad	1497	299400	50000	50000	10000	409400
27	Fatehpur	2311	462200	50000	50000	10000	572200
28	Firozabad	1664	332800	50000	50000	10000	442800
29	G.B. Nagar	778	155600	50000	50000	10000	265600
30	Ghaziabad	688	137600	50000	50000	10000	247600
31	Ghazipur	3623	724600	50000	50000	10000	834600
32	Gonda	3186	637200	50000	50000	10000	747200
33	Gorakhpur	3603	720600	50000	50000	10000	830600
34	Hamirpur	1104	220800	50000	50000	10000	330800
35	Hapur	717	143400	50000	50000	10000	253400
36	Hardoi	3550	710000	50000	50000	10000	820000
37	Hathras	1232	246400	50000	50000	10000	356400
38	Jalaun	1381	276200	50000	50000	10000	386200
39	Jaunpur	4145	829000	50000	50000	10000	939000
40	Jhansi	1260	252000	50000	50000	10000	362000
41	Kannauj	1492	298400	50000	50000	10000	408400
42	Kanpur Dehat	1700	340000	50000	50000	10000	450000
43	Kanpur Nagar	1686	337200	50000	50000	10000	447200
44	Kasganj	1150	230000	50000	50000	10000	340000
45	Kaushambi	1660	332000	50000	50000	10000	442000
46	Kushi Nagar	3392	678400	50000	50000	10000	788400
47	Lakhimpur Kheri	3552	710400	50000	50000	10000	820400
48	Lalitpur	982	196400	50000	50000	10000	306400
49	Lucknow	1551	310200	50000	50000	10000	420200
50	Maharajganj	2666	533200	50000	50000	10000	643200
51	Mahoba	697	139400	50000	50000	10000	249400
52	Mainpuri	1562	312400	50000	50000	10000	422400
53	Mathura	1788	357600	50000	50000	10000	467600
54	MAU	1751	350200	50000	50000	10000	460200
55	Meerut	1688	337600	50000	50000	10000	447600
56	MIRZAPUR	2148	429600	50000	50000	10000	539600
57	Moradabad	2218	443600	50000	50000	10000	553600
58	Muzaffar Nagar	2267	453400	50000	50000	10000	563400
59	Pilibhit	1426	285200	50000	50000	10000	395200
60	Pratapgarh	3041	608200	50000	50000	10000	718200
61	Raebareli	2305	461000	50000	50000	10000	571000
62	Rampur	1705	341000	50000	50000	10000	451000
63	Saharanpur	2695	539000	50000	50000	10000	649000
64	Sambhal	1776	355200	50000	50000	10000	465200
65	Sant Kabir Nagar	1586	317200	50000	50000	10000	427200
66	SRNagar (Bhadohi)	1355	271000	50000	50000	10000	381000
67	Shahjahanpur	2597	519400	50000	50000	10000	629400
68	Shamali	982	196400	50000	50000	10000	306400
69	Shravasti	2393	478600	50000	50000	10000	588600
70	Siddharth Nagar	3944	788800	50000	50000	10000	898800
71	Sitapur	1548	309600	50000	50000	10000	419600

MAA (Mother Absolute Affection) Programme							
S. N.	Name of District	No. of ASHA	ASHA incentive @ Rs. 100/ASHA for 2 Qtr. mother's meeting	IEC activity (Audio visual, includes,print ing of ASHA infokit,ANM flipchart)	One day orentation of ANM/Staff Nurses/ doctor of Delivery point and Sub Centre at and District and block level meeting. This include cost for printing of sensitization module,arranging training @ 50000/district	Monitoring & Award/ Recognition budgets for Rs. 10000/- district for one facility	Total Fund released to DHS
FMR Code			B.1.1.3.2	B.10.3.2.2	A.2.4	A.2.12.2	
Tally Code			B.1.1.3.2.j	B.10.3.2.2.c	A.2.4.a	A.2.12.2.c	
72	Sonbhadra	1114	222800	50000	50000	10000	332800
73	Sultanpur	2556	511200	50000	50000	10000	621200
74	Unnao	2623	524600	50000	50000	10000	634600
75	Varanasi	2083	416600	50000	50000	10000	526600

1– आशा प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code-B.1.1.3.2 पर प्रति आशा रू0 100.00 प्रति त्रैमासिक के अनुसार 2 तिमाही के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2– आई0ई0सी0 गतिविधि–FMR Code-B.10.3.2.2 पर कार्यक्रम के दौरान जनपद स्तर पर विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु रू0 50,000.00 प्रति जनपद के अनुसार धनराशि अमुक्त की जा रही है।

3– One dav orentation FMR Code-A.2.4 पर कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स / चिकित्सा अधिकारी का जनपद तथा ब्लाक स्तर की प्रसव इकाई एवं उपकेन्द्र पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण हेतु रू0 50,000.00 के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसमें अभिमुखीकरण मॉडयूल की प्रन्टिगं एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

4– पुरस्कार राशि FMR Code-A.2.12.2 पर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की एक चयनित इकाई को पुरस्कृत किया जायेगा इस हेतु प्रति जनपद रू0 10,000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी,** एवं सम्बन्धित लिपिक / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0एम0 एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

मण्डलीय अपर निदेशक अपने नियमित भ्रमण के दौरान माँ कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे तथा जनपद स्तरीय अधिकारी भी भ्रमण के दौरान ब्लाक स्तर तथा वी0एच0एन0डी0 के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित आशाओं की बैठकों के दौरान आशाओं को उपरोक्त प्रशिक्षित करें तथा कार्यक्रम में गति लाने का प्रयास करें। महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

जनपद स्तर पर समस्त सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 की रिपोर्ट को संकलित कर रिपोर्ट राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर **<u>संलग्न प्रारूप</u>** पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/MAA / 53 / 2016–17 / दिनांक / /2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, तृतीय तल इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ की पत्र प्रति अपने जनपद के उल्लेखित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, टीम लीडर, टैक्नीकल, TSU-UP, IHAT, राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, "सेव द चिल्ड्रेन" **प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एलाईव एण्ड थ्राईव,** लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/MAA / 53 / 2016–17 / **दिनांक 21 / 12 / 2016**

विषय–"माँ"–माँ का पूरा प्यार ("MAA"- Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि शिशु एवं बाल पोषण (स्तनपान और ऊपरी आहार) व्यवहार मृत्युदर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में शिशु मृत्युदर 48 / 1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** और बाल मृत्युदर 57 / 1000 जीवित जन्म **(SRS-2014)** है। जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्तनपान बच्चों के जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान कराने से 20 प्रतिशत नवजात शिशुओ की मृत्यु को रोका जा सकता है। जो बच्चे 6 माह तक केवल स्तनपान करते हैं उनमें दस्त रोग से मृत्यु की सम्भावना 11 गुना कम तथा निमोनिया से मृत्यु की सम्भावना 15 गुना कम हो जाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के यह प्रमुख कारण है।

प्रदेश में हुए **RSOC-2014** सर्वे के अनुसार स्तनपान सम्बन्धी व्यवहार की स्थिति उत्साहजनक नहीं हैं।

- जन्म के एक घन्टे के भीतर स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 22.5%
- जन्म से छः माह पूरे होने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं का प्रतिशतः 62.5%

स्तनपान जल्दी शुरूआत करने से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम होती है। स्तनपान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को केन्द्रीत करते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 05 अगस्त 2016 से एक सघन अभियान "माँ" कार्यक्रम लागू किया है।

"माँ" अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्तनपान का समर्थन, सम्वर्धन तथा संरक्षण किया जाना है। यह समुदाय तथा समस्त चिकित्सा इकाईयों में संचालित किया जायेगा।

इस अभियान की मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य एवं गतिविधियाँ निम्नवत हैं –

क– जनसंचार माध्यमों से जागरूकता फैलाना।

ख– स्तनपान हेतु उचित वातावरण का निर्माण करने के लिये जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम जिसके लक्ष्य होंगे– गर्भवती एंव धात्री मांताओं एवं परिवार के सदस्यों तथा समुदाय को स्तनपान की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये। स्तनपान शिशु के जीवन को बचाने एवं उसके विकास के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय समझा जाय।

ग– आशा बहुओं को स्तनपान विषय पर के उन्मुख करना तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं की बैठक कर समुदाय के लोगो से बातचीत करना।

घ– स्तनपान सहायक सेवाओं में जिम्मेदारी बढ़ाना तथा ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स / मेडिकल आफीसर की क्षमता बढ़ाना। यह कार्य सभी चिकित्सा इकाईयों तथा प्रसव इकाईयों में संचालित होगा।

ङ– उन चिकित्सालयों की पहचान जहां पर स्तनपान की दर सर्वाधिक हो तथा सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) की पहचान कर पुरस्कृत करना।

प्रशिक्षण "माँ" अभियान हेतु आई0वाई0सी0एफ0 के निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये गये है।

- एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
- चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों एवं ए0एन0एम0 हेतु।

आई0ई0सी0 गतिविधि–

1. आई0ई0सी0 की सामग्री जैसे पोस्टर बस के पैनलो हेतु पोस्टर, सड़क पर लगने वाले पोस्टर, टी0वी0 के लिये विज्ञापन जैसे "अम्मॉ जी कहती है" और रेडियों के लिये भी सामग्री विकसित कर ली गयी है और इसे nrhm.gov.in पर अपलोड किया गया है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. स्तनपान के उच्च दर को प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि परिवार में तथा चिकित्सा इकाईयों पर माँ को स्तपान करने में मदद दी जाये। इसके अलावा माँ को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये और उसके अन्दर जागरूकता भी पैदा होनी चाहिये। इन प्रयत्नों से आगे चलकर देश में स्तनपान की दर को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

माँ कार्यक्रम का लक्ष्य स्तनपान के सम्वर्धन, समर्थन एवं सहयोग हेतु प्रयत्नों को पुर्नजीवित करना है। यह काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होगा ताकि स्तनपान की उच्च दर को प्राप्त किया जा सके।

बी0– "माँ"–माँ का पूरा प्यार कार्यक्रम के अंग–

इस कार्यक्रम को 3 स्तरों पर लागू किया जायेगा। वृहद स्तर का कार्यक्रम जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा होगा। मध्यम स्तर का कार्यक्रम स्वास्थ्य केन्द्रो पर तथा तीसरे स्तर का कार्यक्रम समुदायों मे होगा। जिसका विवरण निम्नवत् है।

बी0–1 उचित माहौल का निर्माण एवं जरूरत पैदा करना, संचार माध्यमों के द्वारा जन जागरूकता पैदा करना।

बी–2 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों में स्तनपान करवाने हेतु क्षमता वृद्धि करना, आशा आंगनबाड़ी तथा ए0एन0एम0 के द्वारा सामुदायिक स्तर पर कार्य करना एवं आशाओं के द्वारा मांताओं की बैठक कर समुदाय से वार्तालाप एंव प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा उपकेन्द्रों एवं वी0एच0एन0डी पर स्तनपान में मद्द एवं बातचीत द्वारा समस्याओं का स्वास्थ्य केन्द्रो पर समाधान एवं सशक्तिकरण।

बी–3 स्तनपान में मद्द करने हेतु ए0एन0एम0/नर्स/डाक्टर में क्षमतावृद्धि करना (स्वास्थ्य केन्द्रों पर) ताकि प्रसव इकाईयों पर स्तनपान को समुचित बढ़ावा दिया जा सके।

बी0–4 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा पुरस्कार वितरण

बी–1 उचित माहौल का निर्माण एवं जरूरत पैदा करना (जनसंचार माध्यमों द्वारा)–

यह आवश्यक है कि समाज स्तनपान की जरूरत को गम्भीरता से महसूस करें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रो तथा सामुदायिक स्तर पर जो क्षमता पैदा की जा रही है उसका उपयोग हो सकेगा।

स्तनपान का संदेश जन–जन तक पहुचें इसके लिये एक जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा (आडियो विजुअल/प्रिन्ट मिडिया/इलेक्ट्रानिक मिडिया) राज्य, जिला, तथा ब्लाक स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर जनसंचार माध्यमो की भूमिका ज्यादा होगी। जबकि जिला और ब्लाक स्तर पर सामुदायिक गतिविधियॉ की भूमिका अधिक होगी।

इन कार्यक्रमों मे स्तनपान के लाभों की जानकारी दी जायेगी जैसे दस्तरोग, निमोनियॉ कम होना, चिकित्सालय में भर्ती तथा मृत्यु दर में कमी, बुद्धि में वृद्धि, भविष्य में हृदय रोग तथा मधुमेह रोग तथा कैन्सर में कमी इत्यादि। कार्यक्रम अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकें इसके लिये बातचीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर देना है जैसे स्तनपान जल्दी शुरू करना, स्तनपान शुरू करने के पहले घुट्टी, शहद, पानी नही देना। दूध पूरा नही होता है इस भ्रम को तोड़ना, धात्री मांताओं को भावनात्मक एवं सम्पूर्ण सहयोग देना, पति सास एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेना, स्तनपान में परेशानी होने पर चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें कामकाजी महिलाये स्तनपान कैसे करायें, डिब्बे के दूध के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाये।

जनपद तथा ब्लाक स्तर पर इन कार्यक्रमों के मुख्य अंग–

- **बी0–1.1 जनसंचार माध्यमों के कार्यक्रम**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रचार प्रसार के लिये सुनने एवं देखने हेतु (आडियो विजुअल मैटिरियल) सामग्री तैयार की है कार्यक्रम दूरदर्शन आल इण्डिया रेडियो पर प्रसारित होंगें। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जायेंगे। जो तय अन्तराल पर होंगे। एस0एम0एस0 तथा वायस मैसेजेज एम0सी0टी0एस0 तथा किलकारी के माध्यम से भेजे जायेंगे।

विभिन्न प्रकार की आई0ई0सी0 सामग्री राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गयी है। जिसका उपयोग जनपद स्तर पर किया जा सकता है।

टी0वी0 के विज्ञापन	रेडियो के विज्ञापन	छपे हुये सन्देश
1–वादा – 60 सेकेण्ड 2–बड़ा भाई, 60 सेकेण्ड 3–खजाने की खोज, 60 सेकेण्ड 4–मॉ सब जानती है, 60 सेकेण्ड	1–वादा, 30 सेकेण्ड 2–बड़ा भाई, 30 सेकेण्ड 3–खजाने की खोज, 30 सेकेण्ड	1–होर्डिंग पोस्टर, बस के पैनल 2–स्वास्थ्य केन्द्रो तथा बाह्य क्षेत्रो के लिये पोस्टर 3–गांवों में दिवारों पर पेटिंग 4–आशा हेतु जानकारी सामग्री 5–ए0एन0एम0 हेतु काउन्सिलिंग का फिलिप चार्ट

राज्य स्तर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ 25 अगस्त 2016 को किया जा चुका है। अधिक प्रचार प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, माल में होर्डिंग लगाई जा सकती है।

- **बी–1.2 मध्य स्तर के जन संचार कार्यक्रम–**

गीत एंव नाट्य विभाग के कार्यक्रम, लोक कलाओं के कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के कार्यक्रम, विडियों वाहन का उपयोग माँ कार्यक्रम हेतु मेले एवं प्रदर्शिनी लगाना ताकि स्थानीय समुदाय को जागरूक किया जा सके।

- **बी–1.3 सामुदायिक भागीदारी एवं विभिन्न विभागों से समन्वय –**

"माँ" कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रम किये जायें।

1. निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं। इसलिये आई0एम0ए0, आई0ए0पी0, एफ0ओ0जी0एस0आई0 (फाग्सी) जैसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर स्तनपान को बढ़ावा दें।
2. अन्य सम्बन्धित विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज, शिक्षा विभाग एवं शहरी विकास विभाग से सहयोग प्राप्त कर गर्भवती एवं धात्री मांताओं तक पहुँचा जा सके।
3. समस्त स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जाये।
4. जन सभायें/वर्कशाप का आयोजन जनपद एवं ब्लाक स्तर पर किया जाये इसमें स्थानीय नेताओं, कलाकारो, समाज सुधारकों, धार्मिक नेताओं, ए0एन0एम0, स्कूल, नर्सिंग स्कूल, पंचायत के नेता तथा शिक्षकों को आमंत्रित करें।

नोट– इन कार्यक्रमों में उन लोगों/संस्थाओं से सहयोग न लिया जाय जिनका आई0एम0एस0 एक्ट में प्रतिबन्धित किया गया है। आई0एम0एस0 एक्ट का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण माडॅयूल में कराया जायेगा।

2– बी0–2 सामुदायिक स्तर पर गतिविधियॉ –

- आशा बहुओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/ए0एन0एम0 आपस में बातचीत तथा मांताओं की बैठकों द्वारा समुदाय से सम्वाद हेतु अभिमुखीकरण किया जाये।
- **प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा उचित देखभाल उपकेन्द्रों के माध्यम से–** सामुदायिक स्तर पर होने वाली गतिविधियॉ स्तनपान के सम्वर्धन तथा सलाह देने के लिये महत्वपूर्ण है। इसमें न सिर्फ माँ को समझाने का मौका मिलता है बल्कि स्तनपान के सम्बन्ध में परिवार के सदस्यों जैसे, सास, पति एंव परिवार के अन्य सदस्यों जागरूक होने का मौका मिलता है। इससे हमें जनसमुदाय के स्तर पर स्तनपान की सही स्थिति तथा सही जानकारी देने का मौका मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों से माँ को स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये उचित सहयोग प्राप्त होता है। फील्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा स्तनपान हेतु माँ को प्रथम मुलाकात में ही सही जानकारी दी जाये। साथ ही जिन्हे स्तनपान में सहयोग/संदर्भन की आवश्यकता होती है उन्हे उचित सलाह दी जाये। जिन मांताओं की चिकित्सालय से छुट्टी होती है उन्हे चिकित्सक/स्टाफ नर्स द्वारा दी गयी उचित सलाह ग्रहण करने हेतु सुनिश्चित किया जाये।
- इस कार्यक्रम में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज को स्तनपान और नवजात शिशु एंव छोटे बच्चों के पोषण के बारे में जागरूक करें। आशा सामुदायिक स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देगी और साथ–साथ इस लायक भी होगी की उन माताओं को प्रशिक्षित ए0एन0एम0 के पास संदर्भित कर सके जिन्हे मदद चाहिये। आशा इन माताओं को अतिपूरित (Congested) स्तन तथा धसे हुये निप्पल को ठीक करने की सलाह दे सकती है। इससे माँ की तकलीफ का लाभप्रद समय भी बचेगा तथा जिन मरीजों को अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है उन्हे वह चिकित्सा इकाईयों पर चिकित्सक/ए0एन0एम0 के पास संदर्भित करें।
- स्तनपान प्रबन्धन एवं समर्थन के लिये सभी ए0एन0एम0 को जो उपकेन्द्रों पर काम कर रही है उन्हे क्रमशः पूरे वर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा यह प्रशिक्षित ए0एन0एम0 समुदाय में जानकारी की प्रमुख श्रोत होंगी। यह प्रशिक्षित ए0एन0एम0 संदर्भित किये गये समस्त माताओं का इलाज करेंगी जैसे अतिपूरित स्तन, दूध न आना, धसे हुये निप्पल, स्तन में फोड़ा होना, दूध कम होना इत्यादि। यह कार्य उपकेन्द्रो पर तथा वी0एच0एन0डी0 के दिन होगा। वी0एच0एन0डी0 एनं उपकेन्दों पर टीकाकरण के दौरान वह स्तनपान के बारे में सलाह सलाह देगी।
- **समुदाय स्तर पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां लागू की जायेंगी –**

- **बी–2.1** आशा का एक दिवसीय अभिमुखीकरण किया जायेगा ताकि समुदाय में स्तनपान विषय पर प्रथम जानकारी प्रदान कर सके। आशा को स्तनपान के फायदों की जानकारी दी जायेगी और आदर्श तरीके क्या है यह भी संक्षेप में बताया जायेगा। स्तनपान के सम्वर्धन में उनकी भूमिका की जानकारी तथा रेफर किये जाने वाले केसो के बारे मे भी बताया जायेगा। यह एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम मासिक समीक्षा बैठक के दौरान ब्लाक स्तर पर होगा। माडयूल 6 एवं 7 के उपयोगी हिस्सों को इस दिन पढाया जायेगा। अभिमुखीकरण हेतु एक दिवसीय माडयूल का भी उपयोग किया जा सकता है। इस पढ़ायी के दौरान स्तनपान एवं सम्पूरक आहार के मूलभूत बातों की जानकारी दी जायेगी ताकि फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता परिवार तथा समुदाय को सही और पूरी जानकारी दे सकें। अगर कोई भ्रम या गलत फहमी है तो उसे भी दूर कर सकें। गृह भ्रमण के दौरान नवजात को स्तनपान कराने में उनकी भूमिका की जानकारी दी जायेगी। मांताओं को स्तन की विभिन्न स्थितियों और उनके देखभाल के बारें में भी पढ़ाया जायेगा।
- **बी– 2.2** आशा द्वारा स्तनपान के सम्वर्धन, संरक्षण, सहयोग एवं प्रबन्धन तथा सम्पूरक आहार के बारे में जानकारी देने के लिये मातृ सम्मेलन का आयोजनः– सामुदायिक स्तर पर आशा इन सम्मेलनों में स्तनपान की जानकारी देंगी और लोगो से बातचीत करेंगी।
    1. आशा अपने गांव के समस्त गर्भवती एवं धात्री माताओं की बैठकें करेंगी जिसमें वह सफल स्तनपान के तरीकों और उससे होने वाले फायदों पर पारस्परिक सम्वाद करेंगी। इसका लक्ष्य होगा समाज को स्तनपान की तरफ मोड़ना और शुरूआती सलाह देना है।
    2. **<u>संलग्नक–1</u> में बताये जाने वाली बातो की सूंची दी गयी है। आशा "माँ" अभियान द्वारा विकसित जानकारी किट तथा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगी।**
    3. आशा अपने क्षेत्र की समस्त गर्भवती एवं धात्री को सूचीवद्ध करेगी। एक सामान्य गांव में लगभग 40 से 50 योग्य माताएं उपलब्ध रहेगी। एक आदर्श मातृ सम्मेलन में 5–8 माताएं होंगी एवं एक माह में 3 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 8 से 10 मीटिंग होंगी। इन तीन महीनों में आशा को हर एक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुचना है।
    4. आशा वित्तीय वर्ष के हर तिमाही में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी।
    5. आशा को 100 रूपये प्रतिपूर्ति राशि त्रैमासिक आधार पर इन बैठकों के लिये दी जायेगी।
    6. जिन स्थानों में मातृ सहायता समूह गठित हैं तो इस मंच का इस्तेमाल मातृ सम्मेलनों के लिये किया जा सकता है।

बी0 2.3 आशा द्वारा स्तनपान की सामान्य गतिविधियों का सुदृढीकरण –

- ऊपर बताये गये अभिविन्यास कार्यक्रम के बाद आशा स्तनपान के विषय में अपनी नियमित गतिविधियों को समान्य गृह भ्रमण के दौरान जैसे कि होमबेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम (एचबी0एन0सी0), कम वजन के शिशुओं एवं एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुये शिशुओं के फालोअप के दौरान बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगी।
- **बी0–2.4** माँ अभियान के शुभारम्भ के बाद सभी उपकेन्द्रो के ए0एन0एम0 एक दिवसीय अभिमुखीकरण माड्यूल द्वारा किया जायेगा। इसके बाद उन्हे चरणवद्ध रूप से 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण माडयूल भी पढ़ाया जायेगा। राज्य इसके लिये एक प्रशिक्षण की योजना बनायेंगे ताकि समस्त उपकेन्दों पर 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण हो जाये।
- ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला स्तर पर किया जायेगा (प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी/प्रशिक्षित बाल रोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित स्टाफ नर्स मास्टर ट्रेनर बन सकते है।) ए0एन0एम0 को आई0वाई0सी0एफ0 परामर्श "माँ" अभियान का फ्लो चार्ट भी दिया जायेगा।
- **बी0–2.5** प्रशिक्षित ए0एन0एम0 उपकेन्दों एवं वी0एच0एन0डी0 के दौरान स्तनपान एवं आई0वाई0सी0एफ0 प्रबन्धन सेवायें प्रदान करेगी तथा संदर्भित बच्चों का निवारण करेगी। इसके लिये दिये गये आई0वाई0सी0एफ0 परामर्श "माँ" फिलप चार्ट का प्रयोग भी करेंगी।

<u>3– बी–3, स्वास्थ्य कर्मियों में क्षमतावृद्धि करना–</u>

- समस्त प्रसव इकाईयों पर चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 में क्षमतावृद्धि करना।
- स्तनपान समर्थन सेवाओं में उनकी भूमिका का सुदृढ़ीकरण –

यह एक ज्ञात तथ्य है कि अस्पतालों में प्रसव के बाद वहां उपलब्ध सेवायें, जिनमें स्तनपान को शुरु करने में तथा सफल बनाये रखने में मदद मिलती है वहीं आगे चलकर के छुट्टी के बाद स्तनपान की उच्च दर को बनाये रखते है। जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान अगर शुरू हो जाता है तथा छुट्टी के पहले माँ को उचित सलाह मिल जाती है और हर बार चिकित्सालय आने पर (टीकाकरण के दौरान) बार–बार सलाह

मिलती रहती है तो 6 माह तक केवल स्तनपान की उच्च दर प्राप्त की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सलाह की आवश्यकता होती है वे है स्तन पर सही लगाव, कितनी बार पिलाना है, परिवार द्वारा भावनात्मक सहयोग, आत्मविश्वास, जरूरत के हिसाब से स्तनपान, रात्रि में स्तनपान। दूध पर्याप्त नहीं है के भ्रम को मिटाना तथा विशेष परिस्थितियां, जैसे की काम काजी महिलाओं को सलाह, स्वास्थ्य इकाईयों पर नवजात शिशुओं के साथ माँ की हर मुलाकात के दौरान स्तनपान/आई0वाई0सी0एफ0 सलाह दिया जाना सुनिश्चित किया जाना।

- अभियान के अन्तर्गत केन्द्रो पर निम्नलिखित गतिविधियाँ लागू की जायेंगी

बी0–3.1 स्तनपान पर एक दिवसीय "माँ" अभिविन्यास कार्यक्रम में जिम्मेदारियों एवं भूमिकाओं का सुदृढ़ीकरण–

1. "माँ" कार्यक्रम के शुरू होने के बाद एक दिवसीय अभिमुखीकरण करने के साथ अभिमुखीकरण और स्तनपान को बढ़ावा देने में कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आंकलन किया जायेगा तथा इस एक दिसवीय अभिमुखीकरण का लक्ष्य होगा कि कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त में जानकारी देकर माँ की मदद करने के योग्य बनाया जाये। जब तक उनकी चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण नहीं हो जाता। यह प्रसव इकाई में तैनात चिकित्सा अधिकारी/आर0एम0एन0सी0एच0–परामर्शदाता एवं स्टाफ नर्स और उपकेन्द्रो पर तैनात ए0एन0एम0 को दिया जायेगा इनके द्वारा स्तनपान सहयोग को भी रेखांकित किया जायेगा। यह बैठकें जिला और ब्लाक स्तर पर होगी। कार्यकर्ताओं के आई0वाई0सी0एफ0 सम्बन्धी कार्य एवं जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से **<u>संलग्नक –2</u>** पर अंकित है।
2. स्वास्थ्य इकाईयों पर स्तनपान को संरक्षण देने में आई0एम0एस0 एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक दिवसीय अभिमुखीकरण में सम्मिलित किया जाये।
3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को चयनित किये गये स्वास्थ्य इकाईयों पर आवश्यक मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है इस दिवस पर स्तनपान की सलाह देने पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाये।
4. माँ के प्रसव के समय घर का एक सदस्य स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद होना चाहिये ताकि वह स्तनपान जल्दी शुरू कराने में मदद कर सके इससे परिवार की स्तनपान को बढ़ाने में जिम्मेदारी बढ़ेगी।

<u>बी0–3.2 ए0एन0एम0/नर्सों में क्षमतावृद्धि करना और मास्टर ट्रेनर तैयार करना–</u>

जनपद स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को चिहिन्त कर उनके द्वारा मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स, और ए0एन0एम0 को चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 की प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

पूर्व से चरणवद्ध रूप से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग/एस0पी0एम0 विभागों में मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स एवं आर0एम0एन0सी0एच0–परामर्शदाता को चार दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जिन स्वास्थ केन्द्रों पर मरीजों की संख्या अधिक रहती है। उन्हे इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी। ए0एन0एम0/स्टाफ नर्सों की चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिये एक कार्य योजना तैयार की जायेगी।

माँ अभियान के लिये समर्पित प्रशिक्षण माडयूल जैसे कि एक दिवसीय अभिमुखीकरण का माडयूल, 4 दिवसीय आई0वाई0सी0एफ0 का माडयूल जो ए0एन0एम0 तथा स्टाफ नर्सों के लिये और प्रशिक्षकों के गाईड हेतु विकसित किये गये हैं।

एक दिवसीय माडयूल का उपयोग अभिमुखीकरण हेतु किया जायेगा। 4 दिवसीय माडयूल एक समेकित माड्यूल है जिसमें स्तनपान के सभी पहलू, सम्पूरक आहार, सलाह देना, वृद्धि की निगरानी और विशेष परिस्थितियों में स्तनपान को सम्मिलित किया गया है।

बी0–3.3 केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण –

<u>ए–</u> समस्त प्रसव इकाईयों पर आई0ई0सी0 सामग्री मुद्रित कराकर ए0एन0सी0 वार्ड/प्रसव वार्ड और ए0एन0सी0 क्लीनिक में लगाये जायेंगे। पी0एन0सी0 वार्डो में इसे दिखाने के लिये आडियो विजुअल माध्यम का उपयोग किया जायेगा। तथा सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) के 10 चरण का भी पोस्टर लगाया जायेगा।

बी0–3.4 स्तनपान कक्ष –

सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर एक स्तनपान कक्ष/ स्थान (कार्नर) बनाया जायेगा जहां परामर्श के लिये आने वाली मांतायें शान्ति से स्तनपान करा सकेंगी इससे स्तनपान को बढ़ावा मिलेगा और प्रचार प्रसार भी होगा।

<u>बी–4 पुरस्कार –</u>

<u>सर्वोत्तम शिशु मित्रवत केन्द्रों (बेबी फ्रेन्डली चिकित्सालय) की पहचान –</u>

स्वास्थ्य इकाई के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को बल देने के लिये उन्हे पहचानने और उनका सम्मान करने के लिये पुरस्कार दिया जायेगा यह कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

बी–4.1 केन्द्रों के लिये पुरस्कार– जो केन्द्र निर्धारित मानकों के आधार पर स्तनपान का सम्वर्धन संरक्षण और समर्थन करेंगे उन्हे राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा यह कार्य नियमों के आधार पर निगरानी कार्यकर्ताओं द्वारा होगा यह पुरस्कार विश्वास बढ़ायेगा और आगे कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा।

बी–4.2 पुरस्कार के बारे में –

1. चुने गये केन्द्र को मॉ–मॉ का पूरा प्यार पुरस्कार मिलेगा।
2. प्रत्येक जनपद में केवल एक पुरस्कार सर्वोत्तम केन्द्र को मिलेगा।
3. यह पुरस्कार रू0 10000.00 का होगा जो पूरी टीम को समान रूप से वितरित किया जायेगा, (चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0)
4. मान्यता प्राप्त निगरानीकर्ताओं के द्वारा प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार उन्हीं को दिया जायेगा जो इकाई निर्धारित मानकों को पूर्ण करेगी।

बी–4.3– पुरस्कार के लिये मानदण्ड (मानक) –

निम्नलिखित 10 मानदण्ड (मानक) को 6 माह तक लागू करने के बाद पुरस्कार मिल सकेगा।

1. स्तनपान/आई0वाई0सी0एफ0 योजना (भारत सरकार की आई0वाई0सी0एफ0 गाईड लाइन के अनुसार) हो जिसकी समस्त चिकित्साकर्मियों को नियमित तौर पर जानकारी दी जाये।
2. समस्त कर्मियों को इस नीति को लागू करने के लिये प्रशिक्षित किया जाये।
3. समस्त गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लाभ एवं प्रबन्धन की जानकारी दी जाये।
4. समस्त माताओं को जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान शुरू कराने में मदद की जाये।
5. समस्त माताओं को स्तनपान कराना सिखायें उन्हे यह भी बतायें की अगर बच्चे से कभी अलग होना पड़े तब दूध के प्रवाह को कैसे बनाये रखें।
6. किसी नवजात को स्तन के दूध के अलावा कोई भी पेय पदार्थ न दे जब तक कि चिकित्सक की सलाह न हो।
7. मॉ और शिशु को 24 घण्टे एक साथ रखें।
8. आवश्यकता के हिसाब से स्तनपान करायें ।
9. स्तनपान करने वाले बच्चों को चुसनी न दें।
10. चिकित्सालय से छुट्टी के बाद माँ को अपने क्षेत्र की प्रशिक्षित ए0एन0एम0 से सम्पर्क कराया जाना।

बी0–4.4

चिकित्सा इकाई का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद में त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा इस कार्य में राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रशिक्षित मानव संसाधन के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा का राज्य/जनपद स्तर पर एक समूह तैयार किया जायेगा। तथा जनपद स्तर पर जिला क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का भी सहयोग लिया जाये तथा यह समूह समय समय पर त्रैमासिक आधार पर निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा।

बी0–4.5 लक्ष्य –

यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सारे अधिक प्रसव वाली स्वास्थ्य इकाईयों को पुरस्कृत किये जाने के अनुरूप विकसित कर लिया जाये।

वित्त पोषण–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में दिये गये निदेशों के क्रम में MAA" (Mother's Absolute Affection) कार्यक्रम के अन्तर्गत नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

MAA (Mother Absolute Affection) Programme							
S. N.	Name of District	No. of ASHA	ASHA incentive @ Rs. 100/ASHA for 2 Qtr. mother's meeting	IEC activity (Audio visual, includes,print ing of ASHA infokit,ANM flipchart)	One day orentation of ANM/Staff Nurses/ doctor of Delivery point and Sub Centre at and District and block level meeting. This include cost for printing of sensitization module,arranging training @ 50000/district	Monitoring & Award/ Recognition budgets for Rs. 10000/- district for one facility	Total Fund released to DHS
FMR Code			B.1.1.3.2	B.10.3.2.2	A.2.4	A.2.12.2	
Tally Code			B.1.1.3.2.j	B.10.3.2.2.c	A.2.4.a	A.2.12.2.c	
1	Agra	2806	561200	50000	50000	10000	671200
2	Aligarh	2850	570000	50000	50000	10000	680000

3	Allahabad	4371	874200	50000	50000	10000	984200
4	Ambedkar Nagar	2372	474400	50000	50000	10000	584400
5	Amethi	2250	450000	50000	50000	10000	560000
6	Amroha (JP Nagar)	1419	283800	50000	50000	10000	393800
7	Auraiya	1266	253200	50000	50000	10000	363200
8	Azamgarh	4220	844000	50000	50000	10000	954000
9	Baghpat	1028	205600	50000	50000	10000	315600
10	Bahraich	3191	638200	50000	50000	10000	748200
11	Ballia	2919	583800	50000	50000	10000	693800
12	Balrampur	1979	395800	50000	50000	10000	505800
13	Banda	1523	304600	50000	50000	10000	414600
14	Barabanki	3258	651600	50000	50000	10000	761600
15	Bareilly	2903	580600	50000	50000	10000	690600
16	Basti	2323	464600	50000	50000	10000	574600
17	Bijnor	3070	614000	50000	50000	10000	724000
18	Budaun	2563	512600	50000	50000	10000	622600
19	Bulandshahar	2291	458200	50000	50000	10000	568200
20	Chandauli	1953	390600	50000	50000	10000	500600
21	Chitrakoot	852	170400	50000	50000	10000	280400
22	Deoria	2930	586000	50000	50000	10000	696000
23	Etah	1492	298400	50000	50000	10000	408400
24	Etawah	1372	274400	50000	50000	10000	384400
25	Faizabad	2556	511200	50000	50000	10000	621200
26	Farukkhabad	1497	299400	50000	50000	10000	409400
27	Fatehpur	2311	462200	50000	50000	10000	572200
28	Firozabad	1664	332800	50000	50000	10000	442800
29	G.B. Nagar	778	155600	50000	50000	10000	265600
30	Ghaziabad	688	137600	50000	50000	10000	247600
31	Ghazipur	3623	724600	50000	50000	10000	834600
32	Gonda	3186	637200	50000	50000	10000	747200
33	Gorakhpur	3603	720600	50000	50000	10000	830600
34	Hamirpur	1104	220800	50000	50000	10000	330800
35	Hapur	717	143400	50000	50000	10000	253400
36	Hardoi	3550	710000	50000	50000	10000	820000
37	Hathras	1232	246400	50000	50000	10000	356400
38	Jalaun	1381	276200	50000	50000	10000	386200
39	Jaunpur	4145	829000	50000	50000	10000	939000
40	Jhansi	1260	252000	50000	50000	10000	362000
41	Kannauj	1492	298400	50000	50000	10000	408400
42	Kanpur Dehat	1700	340000	50000	50000	10000	450000
43	Kanpur Nagar	1686	337200	50000	50000	10000	447200
44	Kasganj	1150	230000	50000	50000	10000	340000
45	Kaushambi	1660	332000	50000	50000	10000	442000
46	Kushi Nagar	3392	678400	50000	50000	10000	788400
47	Lakhimpur Kheri	3552	710400	50000	50000	10000	820400
48	Lalitpur	982	196400	50000	50000	10000	306400
49	Lucknow	1551	310200	50000	50000	10000	420200
50	Maharajganj	2666	533200	50000	50000	10000	643200
51	Mahoba	697	139400	50000	50000	10000	249400
52	Mainpuri	1562	312400	50000	50000	10000	422400
53	Mathura	1788	357600	50000	50000	10000	467600
54	MAU	1751	350200	50000	50000	10000	460200
55	Meerut	1688	337600	50000	50000	10000	447600
56	MIRZAPUR	2148	429600	50000	50000	10000	539600
57	Moradabad	2218	443600	50000	50000	10000	553600
58	Muzaffar Nagar	2267	453400	50000	50000	10000	563400
59	Pilibhit	1426	285200	50000	50000	10000	395200
60	Pratapgarh	3041	608200	50000	50000	10000	718200
61	Raebareli	2305	461000	50000	50000	10000	571000
62	Rampur	1705	341000	50000	50000	10000	451000
63	Saharanpur	2695	539000	50000	50000	10000	649000
64	Sambhal	1776	355200	50000	50000	10000	465200
65	Sant Kabir Nagar	1586	317200	50000	50000	10000	427200
66	SRNagar (Bhadohi)	1355	271000	50000	50000	10000	381000
67	Shahjahanpur	2597	519400	50000	50000	10000	629400
68	Shamali	982	196400	50000	50000	10000	306400
69	Shravasti	2393	478600	50000	50000	10000	588600
70	Siddharth Nagar	3944	788800	50000	50000	10000	898800
71	Sitapur	1548	309600	50000	50000	10000	419600

MAA (Mother Absolute Affection) Programme							
S. N.	Name of District	No. of ASHA	ASHA incentive @ Rs. 100/ASHA for 2 Qtr. mother's meeting	IEC activity (Audio visual, includes,print ing of ASHA infokit,ANM flipchart)	One day orentation of ANM/Staff Nurses/ doctor of Delivery point and Sub Centre at and District and block level meeting. This include cost for printing of sensitization module,arranging training @ 50000/district	Monitoring & Award/ Recognition budgets for Rs. 10000/- district for one facility	Total Fund released to DHS
FMR Code			B.1.1.3.2	B.10.3.2.2	A.2.4	A.2.12.2	
Tally Code			B.1.1.3.2.j	B.10.3.2.2.c	A.2.4.a	A.2.12.2.c	
72	Sonbhadra	1114	222800	50000	50000	10000	332800
73	Sultanpur	2556	511200	50000	50000	10000	621200
74	Unnao	2623	524600	50000	50000	10000	634600
75	Varanasi	2083	416600	50000	50000	10000	526600

1– आशा प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code-B.1.1.3.2 पर प्रति आशा रू0 100.00 प्रति त्रैमासिक के अनुसार 2 तिमाही के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2– आई0ई0सी0 गतिविधि–FMR Code-B.10.3.2.2 पर कार्यक्रम के दौरान जनपद स्तर पर विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु रू0 50,000.00 प्रति जनपद के अनुसार धनराशि अमुक्त की जा रही है।

3– One day orentation FMR Code-A.2.4 पर कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स / चिकित्सा अधिकारी का जनपद तथा ब्लाक स्तर की प्रसव इकाई एवं उपकेन्द्र पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण हेतु रू0 50,000.00 के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसमें अभिमुखीकरण मॉडयूल की प्रन्टिगं एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

4– पुरस्कार राशि FMR Code-A.2.12.2 पर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की एक चयनित इकाई को पुरस्कृत किया जायेगा इस हेतु प्रति जनपद रू0 10,000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी**, एवं सम्बन्धित लिपिक / द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

मण्डलीय अपर निदेशक अपने नियमित भ्रमण के दौरान माँ कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे तथा जनपद स्तरीय अधिकारी भी भ्रमण के दौरान ब्लाक स्तर तथा वी0एच0एन0डी0 के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित आशाओं की बैठकों के दौरान आशाओं को उपरोक्त प्रशिक्षित करें तथा कार्यक्रम में गति लाने का प्रयास करें। महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

जनपद स्तर पर समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 की रिपोर्ट को संकलित कर रिपोर्ट राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/MAA/53/2016–17/8587-75-11 दिनांक / /2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, तृतीय तल इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, बाल विकास, सेवा एवं पुष्ठाहार, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ की पत्र प्रति अपने जनपद के उल्लेखित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, टीम लीडर, टैक्नीकल, TSU-UP, IHAT, राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, "सेव द चिल्ड्रेन" **प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एलाईव एण्ड थ्राईव,** लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य